

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा/भोजपुर(आरा)/सीवान/नालंदा(बिहारशरीफ)/कटिहार ।

पटना, दिनांक :- 8-9-15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तराज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय विसं-वर्ष-2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	मधेपुरा	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/-	पत्रांक-136 दिनांक-20.07.15 के आलोक में (1) स्व० श्रवण राम उर्फ सुरेन्द्र राम पिता धर्मी राम आश्रित मसो० किरण देवी (पत्नी) ग्राम-सिंहार हरिपुरकला, थाना-आलमनगर जिला- मधेपुरा के भुगतान हेतु।
2	भोजपुर (आरा)	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-600 दिनांक-12.08.15 के आलोक में (1) स्व० आनन्द कुमार आश्रित गोविन्द प्रसाद (पिता) ग्राम-नानसागर, पो०-नसरतपुर, थाना-संदेश जिला- भोजपुर (आरा) के भुगतान हेतु।
3	सीवान	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-08 दिनांक-12.05.15 के आलोक में (1) स्व० अमरजीत आश्रित सुनील राम (पिता) ग्राम+पो०-नरहन, थाना+प्रखण्ड-रघुनाथपुर, जिला-सीवान के भुगतान हेतु।
4	नालंदा (बिहार शरीफ)	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-11 दिनांक-26.05.15 के आलोक में (1) स्व० संजय राम उर्फ संजय कुमार आश्रित मसो० रीना देवी (पत्नी) ग्राम-कूड़वापर, पंचायत-कैला, थाना+प्रखंड-नगरनौसा जिला-नालंदा के भुगतान हेतु।
5	कटिहार	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-587 दिनांक-19.06.15 के आलोक में (1) स्व० विनोद कुमार, आश्रित मसो० टुको देवी (पत्नी) ग्राम-अजगाह, पो०-महिशाल, थाना-बलरामपुर, जिला-कटिहार के भुगतान हेतु।
कुल योग		05		500000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि. दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

50

पटना, दिनांक 8.9.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

50

पटना, दिनांक 8.9.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक, /आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं-162 (श्रमपक्ष) दिनांक-28.8.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(एस. सिद्धार्थ)

सचिव।